प्रेस नोट–142/2026
दिनांक 12.03.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

National CSSR प्रतियोगिता में एसडीआरएफ उत्तर प्रदेश ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुये द्वितीय स्थान प्राप्त किया

श्री राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० के मार्गदर्शन एवं अपर पुलिस महानिदेशक पीएसी श्री रामकृष्ण स्वर्णकार के कुशल निर्देशन में एसडीआरएफ उत्तर प्रदेश ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए National CSSR (Collapsed Structure Search and Rescue) प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया।

यह प्रतियोगिता दिनांक 08 से 10 मार्च 2026 तक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) की 8वीं बटालियन, दिल्ली में आयोजित की गयी थी, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों की एसडीआरएफ टीमों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता का समापन समारोह दिनांक 11 मार्च 2026 को दिल्ली पुलिस मुख्यालय के आदर्श ऑडिटोरियम में किया गया, जहाँ केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविन्द मोहन के कर कमलों से सेनानायक एसडीआरएफ उत्तर प्रदेश श्री अमित कुमार, IPS एवं उनकी टीम द्वारा यह पुरस्कार प्राप्त किया गया।

उल्लेखनीय है कि प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य भूकंप, भवन ढहने अथवा अन्य आपदाओं की स्थिति में मलबे में फंसे लोगों को खोजने और सुरक्षित बाहर निकालने की क्षमता का परीक्षण करना तथा मलबे के भीतर फंसे लोगों की तकनीकी खोज, अत्याधुनिक रेस्क्यू उपकरणों का प्रयोग, टीम के बीच बेहतर समन्वय, त्वरित निर्णय क्षमता एवं आपदा प्रबंधन की आधुनिक तकनीकों का मूल्यांकन किया गया।

उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) की टीम ने आपदा राहत तथा खोज-बचाव कार्यों में अपनी उत्कृष्ट दक्षता का प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त कर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है।

यह उपलब्धि Collapsed Structure Search and Rescue (CSSR) जैसे जटिल अभियानों में एसडीआरएफ उत्तर प्रदेश की उत्कृष्ट दक्षता, उच्च स्तरीय प्रशिक्षण तथा पेशेवर क्षमता का प्रमाण है।

समापन समारोह
राष्ट्रीय सी०एस०एस०आर०
प्रतियोगिता - 2026
11 मार्च, 2026
नई दिल्ली
NATIONAL DISASTER RESPONSE FORCE
NATIONAL CSSR COMPETITION - 2026
WINNER TEAM : UTTAR PRADESH
SECOND PRIZE
PRIZE MONEY : ₹ 75,000/- (SEVENTY FIVE THOUSAND ONLY)

समापन समारोह
राष्ट्रीय सी०एस०एस०आर०
प्रतियोगिता - 2026
NATIONAL CSSR COMPETITION - 2026
UTTAR PRADESH
SECOND PRIZE

प्रेस नोट–143 / 2026
दिनांक 12.03.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद अमेठी / थाना मुसाफिरखाना

- **पुलिस कार्यवाही में 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित / खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद**

दिनांक 12.03.2026 को थाना मुसाफिरखाना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर इसौली रोड जाखा शिवपुर के पास मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त इस्लाम अहमद उर्फ सोनू घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित / खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बस्ती, गोण्डा के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना मुसाफिरखाना पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु परिक्षेत्र स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मुसाफिरखाना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–इस्लाम अहमद उर्फ सोनू निवासी इमामबाड़ा काशीराम कॉलोनी थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित / खोखा कारतूस।

2–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

कमिश्नरेट कानपुर नगर/थाना बर्रा

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 08 लाख रूपये कीमत के चोरी के जेवरात**
- **चोरी के 3600 रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त 01 पिकअप वाहन आदि बरामद**

दिनांक 12.03.2026 को थाना बर्रा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 03 अभियुक्तों 1–विक्रम उर्फ विक्की उर्फ विराट 2–राज 3–अंकित को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 08 लाख रूपये कीमत के चोरी के जेवरात, चोरी के 3600 रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त 01 पिकअप वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना बर्रा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बर्रा पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद जेवरात आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त विक्रम उर्फ विक्की उर्फ विराट शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध कमिश्नरेट कानपुर नगर के विभिन्न थानो में चोरी, एनडीपीएस एक्ट आदि के 13 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना बर्रा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विक्रम उर्फ विक्की उर्फ विराट निवासी कस्बा खानपुर थाना कोतवाली जनपद औरैया।

2–राज निवासी मदरहवा कुर्वा थाना पंचपेडवा जनपद बलरामपुर।

3–अंकित निवासी बरीमहतैन थाना सजेती कमिश्नरेट कानपुर नगर।

बरामदगी

1–लगभग 08 लाख रूपये कीमत के चोरी के जेवरात।

2–चोरी के 3600 रूपये नगद।

3–घटना में प्रयुक्त 01 पिकअप वाहन आदि।

- **<u>जनपद हाथरस/थाना हसायन (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को कठोर आजीवन कारावास की सजा व 12–12 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हाथरस पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हाथरस द्वारा थाना हसायन पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304बी/498ए भादवि व 3/4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–रामू उर्फ रामौतार 2–गजराज 3–अभियुक्ता को कठोर आजीवन कारावास व 12–12 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद फतेहपुर/थाना असोथर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 55 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद फतेहपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहपुर द्वारा थाना असोथर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/498ए भादवि व 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त बच्ची निषाद को सश्रम आजीवन कारावास व 55 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद जौनपुर/थाना महराजगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद जौनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद जौनपुर द्वारा थाना महराजगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त धर्मेन्द्र को आजीवन कारावास व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

प्रेस नोट–144 / 2026
दिनांक 12.03.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कोऑपरेटिव बैंक हैकिंग प्रकरण में – कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर साइबर पुलिस द्वारा नाइजीरिया के दो विदेशी नागरिक को किया गया गिरफ्तार

मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 **श्री योगी आदित्यनाथ जी** के निर्देशों के क्रम में पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 **श्री राजीव कृष्ण** द्वारा साइबर अपराधियों एवं संगठित साइबर गिरोहो के विरूद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस की साइबर क्राइम टीम द्वारा एक बड़े **अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए नाइजीरिया के दो नागरिकों को गिरफ्तार** किया गया है। गिरफ्तार आरोपी **"Solar Spider"** नामक साइबर थ्रेट एक्टर्स के एक समूह से जुड़े बताए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य सहकारी बैंकों की साइबर सुरक्षा कमजोरियों का लाभ उठाकर करोड़ों रुपये की अवैध निकासी करना था।

प्रकरण के प्रमुख तथ्य

गिरफ्तारी:

यह कार्रवाई साइबर क्राइम थाना, नॉलेज पार्क थाना तथा मेरठ ज़ोन की साइबर कमांडो टीम द्वारा संयुक्त रूप से की गई।

पुलिस को खुफिया सूचना प्राप्त हुई थी कि "Solar Spider" मॉड्यूल पिछले एक सप्ताह से सक्रिय है। इसके बाद पुलिस ने गुप्त निगरानी करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया।

- **कार्यप्रणाली (Modus Operandi)**

गिरोह सहकारी बैंकों को निशाना बनाता था, जिनकी साइबर सुरक्षा अपेक्षाकृत कमजोर होती है। आरोपियों की योजना इन बैंकों से लगभग ₹60 से ₹80 करोड़ की राशि निकालकर उसे "म्यूल अकाउंट्स" (चोरी की धनराशि को छिपाने या स्थानांतरित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले खातों) में ट्रांसफर करने की थी। इसके बाद इस धनराशि को क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से विदेश भेजने की तैयारी थी।

- **हालिया साइबर धोखाधड़ी**

दिनांक 7–8 मार्च (सप्ताहांत) के दौरान आरोपियों ने गुजरात के भावनगर स्थित एक सहकारी बैंक से लगभग ₹7 करोड़ की धोखाधड़ी की। आरोपियों ने जानबूझकर यह लेन-देन सप्ताहांत में किया ताकि बैंक बंद रहने के कारण धोखाधड़ी का तुरंत पता न चल सके।

- **अतिरिक्त आर्थिक नुकसान को रोका गया**

जांच के दौरान खतरे की गंभीरता का पता चलते ही पुलिस टीम ने तुरंत Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) तथा संबंधित बैंकों को अलर्ट किया। इस त्वरित कार्रवाई से आगे होने वाली करोड़ों रुपये की संभावित धोखाधड़ी को रोका जा सका।

- **अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े तार**

गिरफ्तार आरोपी एक अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क का हिस्सा हैं, जिसके तार नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका में सक्रिय गिरोहों से जुड़े पाए गए हैं।

उल्लेखनीय है कि इसी “Solar Spider” नेटवर्क के एक अन्य मॉड्यूल का भंडाफोड़ गौतम बुद्ध नगर पुलिस द्वारा वर्ष 2025 में भी किया गया था।

———————